सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

माघ 04, सोमवार, शाके 1943-जनवरी 24, 2022

Magha 04, Monday , Saka 1943- January 24, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 28, 2021

संख्या प.एफ.न. 4(12) वन/2017 :-वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36(ख) की उप-धारा (1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये शाहबाद कन्जर्वेशन रिजर्व के संरक्षण, प्रबन्धन एवं उसके रख-रखाव के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को परामर्ष देने के लिए निम्न सदस्यों की एक संरक्षण आरक्षिति प्रबध समिति का गठन किया जाता है:-

1. सरपंच ग्राम पंचायत, शाहबाद।
2. सरपंच ग्राम पंचायत, मुंडियर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत, राजपुर।
4. सरपंच ग्राम पंचायत, खांडा सहरोल।
5. सरपंच ग्राम पंचायत, कस्बानोनेरा।
6. सरपंच ग्राम पंचायत, बमनगंवा।
7. सरपंच ग्राम पंचायत, संदोकड़ा।
8. सरपंच ग्राम पंचायत, बैंटा।
9. अध्यक्ष इको डवलपमेंट कमेटी, शाहबाद।
10. वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, मुंडियर।
11. वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, शाहपुर।
12. वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, मामोनी।
13. वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, राजपुर।
14. वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, आनासागर।
15. प्रबंधक संकल्प संस्था, मामोनी।
16. प्रबन्धक सीकोइडीकोन, शाहबाद।
17. पषु चिकित्सा अधिकारी, शाहबाद।
18. कृषि अधिकारी, शाहबाद।
19. क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन विभाग, केलवाड़ा।
20. क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन विभाग, शाहबाद-सदस्य सचिव।

सदस्य सचिव द्वारा उक्त समिति के लिये आयोजित बैठक में उप वन संरक्षक एवं संबंधित सहायक वन संरक्षक को आमंत्रित किया जावेगा।

वन्य जीव (संरक्षण), 1972 की धारा 36(ख) की उप-धारा (3) के अनुसार उक्त समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया जिसमें गणपूर्ति भी हो का विनियमत करेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

बी.प्रवीण,
शासन सचिव।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 28, 2021

संख्या प.एफ.न. 4(12) वन/2017 :- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 36क की शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतदद्वारा स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात बारां जिले की शाहबाद तहसील स्थित रक्षित वन खण्ड राजपुर (बी), राजपुर (सी), तेलनी (बी), तेलनी (ई), नोनेरा (ए), हाडौता, मुंडियर (ए), बींची, संटोरा एवं सहरोल तलेटी (ए) की वर्णित रक्षित वन भूमि, जिसका विवरण नीचे दी गई अनुसूची -। एवं सीमाओं का विवरण अनुसूची-।। के अनुसार है, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पति भू-संरचना सम्बन्धित, नैसर्गिक एवं प्राणीशास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित करती है, जिसे भविष्य में शाहबाद कन्जर्वेशन रिजर्व के नाम से जाना जावेगा, जो उक्त अधिनियम एवं तद्धीन बनाए गए नियमों या समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा।

अनुसूची-।

क्र.सं.	वन खण्ड का नाम	भूमि का विवरण			
		अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	क्षैत्रफल (हैक्टर)	रक्षित भूमि
1	2	3	4	5	6
1	राजपुर बी	एफ17(158)राक62	24.05.1962	1814.24	1814.24
2	राजपुर सी	एफ17(158)राक62	24.05.1962	568.91	568.91
3	तेलनी डी	एफ17(154)राक62	16.05.1962	1968.50	1968.50
4	तेलनी ई	एफ17(158)राक62	24.05.1962	152.89	152.89
5	नोनेरा ए	एफ7(406)राक62	28.12.1962	3408.41	3408.41
6	हाडौता ए	एफ7(158)राक62	24.05.1962	1938.42	1938.42
7	मुंडियर ए	एफ7(153)राक62	21.01.1962	4855.70	4855.70
8	बीची	एफ(353)राक61	21.06.1961	1709.00	1709.00
9	संटोडा	एफ16(154)राक62	16.05.1962	1541.25	1541.25
10	सहरोल तलहटी ए	एफ7(154)रक62	16.05.1962	982.29	982.29
	Total			**18939.61**	**18939.61**

अनुसूची-।।

उत्तरी सीमाः- वनखण्ड तेलनी डी. के सम्पार्टमेंट नं0 15 व 16 की उत्तरी सीमा से चलकर वनखण्ड हाडौता ए. के कम्पार्टमेंट 1 व 2 की उत्तरी सीमा व सहरोल वनखण्ड के कम्पार्टमेन्ट नं0 1 की उत्तरी सीमा पर समाप्त होगी।

पूर्वी सीमाः- वनखण्ड सहरोल के कम्पार्टमेंट नं0 1, 2, 3 व कम्पार्टमेंट नं0 4 की बाउंड्री पर चलकर कम्पार्टमेन्ट नं0 5 व 6 ''ए'' की पूर्वी बाउंड्री के सहारे शाहबाद ग्राम के पास हाडौता ब्लॉक के कम्पार्टमेन्ट नं0 5 की दक्षिणी सीमा से चलकर सन्टोरा ब्लॉक के कम्पार्टमेन्ट नं0 1 व 2 शाहबाद ग्राम की सीमा के सहारे चलकर सन्टोरा ब्लॉक के कम्पार्टमेन्ट नं0 3, 4, 5, 6 व नोनेरा ब्लॉक के कम्पार्टमेन्ट नं0 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 व 15 की पूर्वी सीमा ही कन्जर्वेषन रिजर्व की पूर्वी सीमा होगी।

दक्षिणी सीमाः- वनखण्ड नोनेरा के कम्पार्टमेन्ट नं0 15, 14 व बींची ब्लॉक के कम्पार्टमेन्ट नं0 7, 10, 11, 12 की दक्षिणी सीमा ही कन्जर्वेषन रिजर्व की दक्षिणी सीमा होगी।

पश्चिमी सीमाः- वनखण्ड बीची की पश्चिमी सीमा के कम्पार्टमेन्ट नं0 12, 13, 17 की पश्चिमी सीमा 16 iv की उत्तरी सीमा 15 ''ए'' की पूर्वी सीमा 15 ''बी'' की उत्तरी सीमा कम्पार्टमेन्ट नं0 9, 8, 4, 19 व 18 की पूर्वी सीमा के पष्चात कम्पार्टमेन्ट नं0 18 की उत्तरी सीमा व कस्बा नोनेरा के कम्पार्टमेन्ट नं0 1 व 2, 13, 12, 11 की पूर्वी सीमा व मंुडियर ''ए''' वनखण्ड के कम्पार्टमेन्ट नं0 10, 9, 8, 6 ''ए'', 5 20 iv की दिक्षिणी सीमा व कम्पार्टमेन्ट नं0 4, 14, 15 ''ए'', 15 ''बी'', 2, 1, 17, 18, 19 ''बी'' एवं वनखण्ड राजपुर ''बी'' के कम्पार्टमेन्ट 1, 2, 6, 5, 3, 4 की पष्चिमी सीमा ही शाहबाद कन्जर्वेषन रिजर्व की पष्चिमी सीमा होगी।

उपरोक्त सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली फोरलेन हाइवे 76, अन्य चालू रास्ते, आंतरिक लाइन से पृथक किए गए राजस्व/गैर वन क्षेत्र, मंदिर, धर्मशालाएं, विद्युत तथा पेयजल लाइनें, सार्वजनिक तालाब उक्त प्रयोजनार्थ ''कन्जर्वेशन रिजर्व'' के बाहर के क्षेत्र होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

बी.प्रवीण,

शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।